UPUN010003982026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
उपस्थितः—अनिल कुमार वर्मा—प्रथम (एच0जे0एस0)
दाण्डिक विविध वाद संख्या—35/2026
हेमा आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि

04.05.2026:—

पत्रावली पेश हुई। वास्ते सुनवाई 3क प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम नियत है।

आवेदकगण ने 3क प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र 4ख प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उन्हे मामले से सम्बन्धित परिवाद सं0 114/2025 की कभी कोई जानकारी नहीं रही। भ्रामक तथ्यों के आधार पर तलबी आदेश पारित करा लिया गया है। उन्हे उक्त तलबी आदेश की जानकारी माह दिसम्बर, 2025 में हुई जब न्यायालय से जारी सम्मन/बी0डब्लू0 थाना लालगंज जनपद रायबरेली पंहुचा, पुलिस द्वारा उन्हे तलबी की जानकारी दी गयी। तब उन्होने दिनांक 01.01.2026 को नकल प्राप्त किया। नकल प्राप्त होने की तिथि से निगरानी अन्दर मियाद है लेकिन कोई विधिक त्रुटि न हो, इसलिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थीगण को धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना की गयी।

विपक्षी सं0 2 की ओर से आपत्ति 9ख प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थीगण को तलबी आदेश की जानकारी माह अगस्त में हो गयी थी एंव माह अक्टूबर में उनके द्वारा रजिस्टर्ड लिफाफा लेने से इंकार किया गया। इसलिए निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम निरस्त करने की याचना की गयी।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थीगण द्वारा 3क प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि उन्हे उक्त तलबी आदेश की जानकारी माह दिसम्बर, 2025 में हुई जब न्यायालय से जारी सम्मन/बी0डब्लू0 थाना लालगंज जनपद रायबरेली पंहुचा, पुलिस द्वारा उन्हे तलबी की जानकारी दी गयी। तब उन्होने दिनांक 01.01.2026 को नकल प्राप्त किया। नकल प्राप्त होने की तिथि से निगरानी अन्दर मियाद है। अपने उक्त कथन के समर्थन में उनके द्वारा शपथ—पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि विपक्षी सं0 2 द्वारा प्रार्थी/निगरानीकर्तागण के उक्त कथनों के खण्डन में जो आपत्ति की गयी है, उसके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विधि की मंशा है कि प्रत्येक मामले का निस्तारण गुण—दोष पर किया जाये। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत आदेश की वैधता पर विधिनुसार विचार करने के लिए निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र 3क स्वीकार किये जाने योग्य है।

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.05.04 16:56:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Unnao.

<u>आदेश</u>

3क प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम, स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/निगरानीकर्तागण को धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ देते हुए निगरानी संस्थित करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। पत्रावली निगरानी अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक–14.05.2026 को पेश हो।

दिनांक–04.05.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
जे0ओ0कोड–यू0पी0 6552,
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

अजय